Sub - C-6 Gender School & Society

(6)

Topic - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (NPE)
National Policy on Education 1986

महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करना शिक्षा की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। 1986 में सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की। इस नीति में स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई कि अब स्त्री-पुरुषों की शिक्षा में कोई अन्तर नहीं होगा और दोनों को ही समान सुविधायें प्रदान करनी चाहिये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने तर्क दिया कि एक स्थिर समाज को बनाये रखता, निकाय एक परिवर्तन के साथ जीवंत समाज में आवश्यक रूपांतरण ही शिक्षा की भूमिका है।

इस नीति के अनुसार शिक्षा को राष्ट्रीय उद्देश्य और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अग्रसर किया गया, ताकि शिक्षा के लोग व्यापीकरण के साथ-साथ शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रस्ताव / विशेषतायें :-

(i) राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 10+2+3 शिक्षा पद्धति को अपनाया गया।

(ii) विद्यालय स्तर की 10 वर्षीय शिक्षा का पाठ्यक्रम सारे देश में समानता के आधार पर लागू किया गया, जिसमें आवश्यकता लचीलेपन के लिये गुंजाइश रखी गयी।

(iii) उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के सन्दर्भ में प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी

Scanned with CamScanner

परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आदि संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ बनाया जायेगा, ताकि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सके।

(v) नवीन शिक्षा नीति के अन्तर्गत समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिये विशेष ध्यान देने की व्यवस्था है। जैसे- महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक विकलांग तथा अल्पसंख्यक वर्ग।

(vi) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सबको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करने लक्ष्य को कम-से-कम समय में पूरा करने की अनिवार्यता की ओर ध्यान आकर्षित कराया था।

(vii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिये प्रस्ताव किया गया।

(viii) राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में यह भी प्रावधान किया गया कि शिक्षा नीति के आयामों, क्रियान्वयन उपलब्धियों एवं कमियों आदि की समीक्षा प्रत्येक पाँच वर्ष बाद की जाएगी।

आचार्य राममूर्ति समिति 1990 :-

आचार्य राममूर्ति ने महिला शिक्षा के सम्बन्ध निम्न महत्वपूर्ण सिफारिशें की है :-

(i) कक्षा 1 से 3 का पाठ्यक्रम शिशु शिक्षा केन्द्रों के अनुरूप बनाया जाये।

(ii) 300 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाये।

(iii) 500 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में मध्य विद्यालय स्थापित किये जाये।

(iv) विद्यालय की समयावधि को स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल हो।

(v) महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ायी जाये।

(vi) योग्य बालिकाओं को प्रति प्रोत्साहन योजना में सम्मिलित किया जाय।

P.T.O

Scanned with CamScanner

(vii) छात्राओं के लिये पृथक विद्यालयों की स्थापना की जाये। अथवा लिये विद्यालय भवन का प्रयोग दो पालियों में किया जा सकता है। एक पाली में लड़कियाँ पढ़ें और दूसरी पाली में लड़के।

(viii) जहाँ सह-शिक्षा है वहाँ अधिक अध्यापिकाएँ नियुक्त की जायें।

(ix) छात्राओं को आवासीय सुविधायें प्रदान की जायें। इसके लिये छात्रावासों की स्थापना किया जाय।

(x) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक धारा के अनेक लिये प्रोत्साहित किया जाय।

(xi) व्यावसायिक शिक्षा में उनके प्रवेश को बढ़ाने के लिये छात्रवृत्तियों की उपयुक्त व्यवस्था की जाये। साथ ही शुल्क, पाठ्यपुस्तकों, आदि के लिये वित्तीय सहायता दी जाये।

(xii) छात्राओं को विद्यालय पहुँचाने के लिये परिवहन की व्यवस्था की जाय।

नई शिक्षा नीति 2020

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है।

नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिन्दु :-

(i) नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4, डिजाइनवाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।

(ii) NEP 2020 के तहत MHRD द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन (National Mission On Foundational Literacy & Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत वर्ष 2025 तक कक्षा-3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) NEP-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में ~~इस नीति~~ अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

(iv) कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जायगा और इसमें Internship की व्यवस्था भी की जायगी।

(v) वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जायगा।

(vi) नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

Scanned with CamScanner